बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक 09.02.2026

संख्या–08/मु०4–58/2025...193.../यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद संख्या– 20152/2021 अभिमन्यु प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ पारित की जा रही है।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमण्डल, पटना के आदेश ज्ञापांक 840 दिनांक 12.07.2021 द्वारा श्री अभिमन्यु प्रसाद सिंह को फर्जी ढंग से कपटतापूर्वक सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के कारण समीक्षोपरांत श्री सिंह को आदेश निर्गत की तिथि से बर्खास्त किया गया।

उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० न०–20152/2021 श्री अभिमन्यु प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय न्यायालय, पटना द्वारा उक्त मामले की सुनवाई करते हुए दिनांक 06.01.2026 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है:–

"6. Considering the fact that similar appeals, which were filed pursuant to the order passed by the Hon'ble Division Bench, have already been adjudicated, the case of this petitioner is also similar to those appellants in which orders have been already recorded, which is appended with the supplementary affidavit filed in this case as Annexure-P/19 to 21. This Court finds it appropriate to direct, Director, Primary Education to adjudicate the appeal of the petitioner strictly in consonance with the directions, issued by the Hon'ble Division Bench and also in similar terms, in the event, the case of this petitioner is also found to fall within the same parameters.

7. Accordingly, the Director, Primary Education is directed to decide the appeal, which has already been filed by this petitioner on 02.08.2021 within a period of eight weeks' from today.

8. Accordingly, the instant writ petition stands disposed of."

वादी श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक 02.02.2026 को मामले की अपील सुनवाई की गयी। उक्त सुनवाई में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना एवं वादी श्री सिंह अपने अधिवक्ता रामाकांत सिंह के साथ उपस्थित हुए।

उल्लेखनीय है कि श्री सिंह की नियुक्ति वर्ष 1991 में सारण प्रमंडल, छपरा अंतर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय में की गई थी। उक्त नियुक्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 8942/2001 भगवान सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 10212/2001 काशीनाथ सिंह बनाम राज्य सरकार में पारित न्यायादेश के अनुपालन में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार द्वारा गठित जाँच दल के द्वारा वर्ष 1991 में सारण प्रमंडल अंतर्गत राजकीय बुनियादी विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर किए गए सामूहिक नियुक्ति में व्यापक अनियमितता के गंभीर आरोपों एवं किए गए भ्रष्टाचार के जाँचोंपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं तत्कालीन विभागीय प्रधान सचिव को साक्ष्यमूलक अभिलेख/कागजातों के साथ जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। मामले की विभागीय जाँच के क्रम में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार के पत्रांक 1537 दिनांक 24.10.2013 के द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति के गठन एवं निगरानी जाँच दल के प्रतिवेदन की जांच की समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित किए जाने का आदेश दिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन में संबंधित सहायक शिक्षक श्री सिंह के प्रथम नियुक्ति में व्यापक अनियमितता प्रर्दश हुई। जिसमें उनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्राप्ताकों में फेरबदल करते हुए निर्मित मेधा सूची को प्रभावित किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जाँच प्रतिवेदन की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की गयी समीक्षा में यह स्थापित हुआ कि संबंधित सहायक शिक्षक ने भी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्राप्ताकों में फेरबदल कर अनुमोदित मेधा पैनल को प्रभावित करते हुए नियुक्ति प्राप्त किया, जिसके लिए वे दोषी हैं। निगरानी अन्वेषण ब्युरो के जाँच प्रतिवेदन तथा तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा के पत्रांक–35 दिनाक 24.02.2014 द्वारा त्रि–सदस्यीय समिति के समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में तत्कालीन विभागीय प्रधान सचिव के ज्ञापांक 1435 दिनांक 19.12.14 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वगीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के आलोक में संबंधित शिक्षकों पर अनियमितता के आधार पर प्राप्त किए नियुक्ति लाभ के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया था। संबंधित शिक्षक के द्वारा शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्राप्ताकों में फेरबदल एवं अनुमोदित मेधा सूची में हेराफेरी कर नियुक्ति प्राप्त कर लेने के प्रमाण प्रथम दृष्ट्या पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 2005 के प्रावधान के अनुसार आरोपों की विवरणी प्रपत्र 'क' में अंकित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। समीक्षोपरांत क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के ज्ञापांक 3040 दिनांक 15.10.15 द्वारा संबंधित सहायक शिक्षक श्री सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

पारित बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०– 19509/2015 अभिमन्यु प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद एवं सदृश्य अन्य वाद सी०डब्लू०जे० सी० सं०– 2874/2016 समीर कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के समादेश याचिकाओं में माननीय उच्च

न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री सिंह को सेवा में पुनःस्थापित इस शर्त्त के साथ किया गया कि विभाग द्वारा दायर एल.पी.ए. अथवा भविष्य में विभाग द्वारा प्राप्त आदेश के फलाफल तत्संबंधी अनुपालनात्मक आदेश प्रभावी होगा। विभाग द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल.पी.ए. संख्या 994/2018 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम अभिमन्यु प्रसाद सिंह दायर किया गया। उक्त एल.पी.ए. में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2019 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"In the light of above, we agree with the findings of the learned Single Judge that there were procedural violations, but in view of the fact that the respondent-petitioners were beneficiaries of a selection on account of incorrect depiction of marks, the authorities ought to have put the respondent-petitioners to notice about such facts including the Inquiry Report before having proceeded to terminate their services. The appeals are, therefore, disposed of by modifying the order of the learned Single Judge to the effect that the appellants shall now afford a fresh opportunity to the respondent-petitioners to give a reply to all the allegations after supplying them a copy of the Inquiry Report by giving a fresh show cause notice and any other available relevant document and then pass appropriate orders after considering the reply of the respondent-petitioners in accordance with law within a reasonable time."

उक्त पारित आदेश के आलोक में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (23) के अनुसार संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपी शिक्षक द्वारा सदोष आरंभिक नियुक्ति प्राप्त किया जाना स्थापित हुआ। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (2) एवं (3) के आलोक में मेधांत सूची (पैनल)/नियुक्ति पत्र/निगरानी जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति एवं जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए आरोपी शिक्षक से कारण–पृच्छा (Fresh Show Cause) किया गया तथा उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त कारण पृच्छा के आलोक में आरोपी शिक्षक द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन दिनांक 24.04.2021 को समर्पित किया गया। जिसमें श्री सिंह का बचाव अभिकथन संतोषप्रद नहीं पाया गया। समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर राजकीय बुनियादी विद्यालयों के सहायक शिक्षकों की सेवा के वर्गीकरण, नियुक्ति/प्रोन्नति एवं स्थानांतरण नियमावली 1975 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 17.08.1988 के आलोक में आरोपित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। विभागीय अधिसूचना दिनांक 17.08.1988 में प्रावधान था कि संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अर्न्तवीक्षा के आधार पर

पैनल तैयार करेंगे एवं उस पर विशेष निदेशक, प्रा० शि०, बिहार द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात् नियुक्ति करेंगे।

निगरानी जाँच प्रतिवेदन की सम्यक जाँच एवं समीक्षा हेतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार के ज्ञापांक 1537 दिनांक 24.10.2013 के द्वारा गठित समिति का जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि **"निगरानी जाँच दल के समक्ष आरोपित सहायक शिक्षक के वास्तविक, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक पूर्णांक के अंतर्गत 1500 एवं 58.08 प्रतिशत अंकित किया गया है, जबकि नियुक्ति हेतु निर्मित मेधा सूची में प्रशिक्षण पूर्णांक 1100 एवं 69.70 अंकित कराया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपित शिक्षक द्वारा पैनल में उद्घोषित (प्रपत्र) में प्रशिक्षण प्राप्तांक 933 अंकित है, जबकि पैनल में प्रशिक्षण प्राप्तांक 935 अंकित है। "**

उक्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि आरोपित शिक्षक श्री सिंह फर्जी ढंग से कपटतापूर्वक आरंभिक नियुक्ति प्राप्त करने में सफल रहे। तदालोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश ज्ञापांक 840 दिनांक 12.07.2021 द्वारा श्री सिंह को फर्जी ढंग से कपटतापूर्वक सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के कारण समीक्षोपरांत श्री सिंह को आदेश निर्गत की तिथि से बर्खास्त किया गया।

अपील सुनवाई में श्री अभिमन्यु प्रसाद सिंह एवं उनके अधिवक्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की गहनता से समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख में शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण पूर्णांक के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे इनके दावा पर विचार किया जा सके एवं इनकी नियुक्ति को वैध ठहराया जा सके।

अतः समीक्षोपरांत क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश ज्ञापांक 840 दिनांक 12.07.2021 द्वारा श्री अभिमन्यु प्रसाद सिंह, बर्खास्त शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, पार्थु, मखदुमपुर, नालंदा के बर्खास्तगी आदेश को यथावत् रखा जाता है एवं साथ ही इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

(विक्रम विस्कर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–08/मु०4–58/2025–193/ पटना, दिनांक 09.02.2026

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), नालंदा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री अभिमन्यु प्रसाद सिंह, बर्खास्त सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, पार्थू, मखदूमपुर, नालंदा, आवासीय पताः– ग्राम+पोस्ट–भुरंगा, जिला–नालंदा एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)